फर्द अहकाम

नेपाल बनाम अरविन्द व अन्य

पत्र संख्या. 15/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.01.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की हैं। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू. अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 70 के खसरा नंबरान 576, 579, 580, 613, कुल किता 4 कुल रकबा 0.5300 हैक्टेयर व वाके ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 1 रकबा 0.5400 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 20.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नोटिस जारी 749-771 6/2/25
	20/2/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] है। अतः पत्राव[illegible] दिनांक 06/3/25 को पेश हो। अप्रार्थी नंबरान 8, 10 व 12, 15 ता 22 की ओर से जवाब T 2 पेश किया [illegible] हो।	
	28/2/25	प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के बीच सुनवाई प्रारम्भ पर आज पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरा मुताबिक पत्रावली डिक्री किया जा चुका है अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली नत्थी से बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर [illegible] (सांगानेर)	